

3.12.2021

"प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
कमला कांत पत्नी हरी सिंह 219011-219011 N. जे 219011	वा म	राजस्थान सरकार जसिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.LAct 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 296 / 2021 GCMS No. 2021/1073

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज 2021/1073	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
-------------	--	---

03/12/2021

वादी श्री कमला कांत पत्नी हरी सिंह
जाति 219011-219011 निवासी जे 219011 द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021" कैम्प ग्राम पंचायत जे 219011 में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 ग्राम जे 219011 पटवार मण्डल 219011 के खाता नम्बर 15 में वादी की राजस्व रेकॉर्ड में प्रविष्टि कमला पत्नी हरी सिंह

दर्ज है, जो अशुद्ध है।
वादी का शुद्ध नाम कमला कांत पत्नी हरी सिंह है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 4134 7471 8570

मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत की है।
इस संबंध में हल्का पटवारी 219 भूअनि 219011 एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल हो।



उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

1193-1195